भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 157
(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

देश में धन-संपदा के वितरण में असमानता

***157. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:**
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को नोट किया है कि देश की 40 प्रतिशत धन संपदा सर्वाधिक अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास है, जबकि निचली आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल तीन प्रतिशत हिस्सा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश के शीर्ष दस सबसे अमीर लोगों पर पांच प्रतिशत कर लगाने से देश के सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का देश के शीर्ष दस सबसे अमीर लोगों पर कर लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

देश में धन-संपदा के वितरण में असमानता पर

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी और श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डु द्वारा उठाए गए दिनांक 13 फरवरी 2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *157 में संदर्भित विवरण

(क): भारत में आय के वर्ग वितरण संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्रित किए गए घरेलू उपभोग व्यय आंकड़ों का उपयोग उपभोग व्यय के संदर्भ में आर्थिक असमानता का पता लगाने के लिए एक आधार (प्रॉक्सी) के रूप में किया जा सकता है। एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 में आयोजित अपने 68वें दौर में परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े एकत्र किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (जनसंख्या के विभिन्न व्यय

वर्गों के बीच असमानता को मापना) 2004-05 और 2011-12 में क्रमशः 0.27 और 0.28 पर लगभग समान पाया गया है। शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक वर्ष 2004-05 के 0.35 से मामूली बढ़कर वर्ष 2011-12 में 0.37 हो गया है। अगला घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू की गई है।

(ख): सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास करना है। समावेशी विकास पर आधिकाधिक ध्यान दिए जाने की बात गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और देश की आबादी में कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास के प्रति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है।

इस संबंध में, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना का दावा भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज सहायता; फार्म गेट अवसंरचना आदि के लिए कृषि अवसंरचना निधि जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, सरकार बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने वर्ष 2018 से आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचाने गए जिलों के छह क्षेत्रों "(i) स्वास्थ्य और पोषण, (ii) शिक्षा, (iii) कृषि और जल संसाधन, (iv) वित्तीय समावेशन, (v) कौशल विकास, और (vi) आधारभूत अवसंरचना" का व्यापक विकास करना है। इस पहल को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और अवसंरचना जैसे कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।

कोविड-19 के दौरान, सरकार ने अप्रैल 2020 से लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से लोगों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के जीवन और आजीविका पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई लक्षित हस्तक्षेप किए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्व का सबसे बड़ा निशुल्क खाद्यान कार्यक्रम, महिला जन धन खाताधारकों को नकद अंतरण, कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर, मनरेगा मजदूरी में वृद्धि, संगठित क्षेत्रों में कम मजदूरी पाने वालों को सहायता आदि शामिल हैं।

समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, पीएमजीकेएवाई योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। विस्तारित पीएम-

जीकेएवाई के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन दिया गया था। इसके अलावा, देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए 1 जनवरी, 2023 से एक योजना लागू कर रही है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बजट 2023-24 में "समावेशी विकास" को अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में इंगित किया गया है और इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि क्षेत्र के लिए कई पहल शामिल हैं (जैसे कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; कृषि त्वरक निधि; कपास की फसल और बागवानी पर ध्यान केंद्रित करना; भारत को बाजरा का वैश्विक केंद्र बनाना; कृषि ऋण लक्ष्य आदि में वृद्धि); कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा। बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ संतृप्त किया जा सके। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक करने का भी प्रस्ताव है।

इसके अलावा, यह स्वीकार करते हुए कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है, 2023-24 के बजट में पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना होगा। हाल के वर्षों में यह पर्याप्त वृद्धि विकास क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ाने, निजी निवेश बढ़ाने में मदद करेगी, और वैश्विक बाधाओं के खिलाफ एक सहारा प्रदान करेगी। अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और पूरक नीतिगत कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त वर्धित परिव्यय से राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का भी प्रस्ताव है।

(ग) कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापारिक सुगमता के लिए वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इसके संग्रह की लागत अधिक थी और प्रतिफल कम था। संपत्ति कर को 1 करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले सभी व्यक्तियों (एक विदेशी कंपनी को छोड़कर) के मामले में मौजूदा अधिभार की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत अधिभार की दर में भी वृद्धि की गई है। संपत्ति कर समाप्त होने के कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अब किसी व्यक्तिगत करदाता की पूरी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करता है। इसलिए करदाताओं की संपत्ति से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) देश के शीर्ष दस सबसे अमीर लोगों पर आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, उनकी आय पर पहले से ही कर लगाया जाता है।

****